**ELECTION / URGENT**

(19) **कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रतापगढ़।**

संख्या : 440/ शिविर–निर्वा0–2017 दिनांक : 05 जनवरी,2017

**समस्त जिला / तहसील / ब्लाक स्तरीय अधिकारी,**

कृपया मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या 24 / सी0 ई0ओ0–1–142 / 1–2008 दिनांक 04 जनवरी, 2017,जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017, आदर्श आचार संहिता के संबंध में मा0 भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश पत्र संख्या 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 दिनांकः 04–01–2017 एवं पत्र संख्या 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2017 दिनांक 04–01–2017 के अनुक्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 की घोषणा होने के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता एवं सांसद / विधायकों की स्थानीय विकास निधि के अन्तर्गत निधियों की अवमुक्ति व अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगाते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ का पत्र एवं उसके साथ संपृक्त मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि कृपया इसका भलीभॉति अध्ययन कर लें और निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आदर्श आचार संहिता का परिपालन आश्वस्त करायें। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इसमें किसी भी स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता एवं अनवधानता न होने पाये।

**संलग्नकः यथोक्त।**

(डा0 आदर्श सिंह)<br>
जिलाधिकारी /<br>
जिला निर्वाचन अधिकारी,<br>
प्रतापगढ़।

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी / उपजिला निर्वाचन अधिकारी,प्रतापगढ़ को अनुश्रवण हेतु।
3. अपरजिलाधिकारी(वि / रा) / अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी / पश्चिमी), प्रतापगढ़।
4. समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट / आर0ओ0 / समस्त क्षेत्राधिकारी,प्रतापगढ़।
5. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,प्रतापगढ़ को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी /<br>
जिला निर्वाचन अधिकारी,<br>
प्रतापगढ़।